न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

पत्रावली सं. 192/15/136 एलआर

गैन्दी उम्र 70 वर्ष धर्मपत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीया

ब ना म

1. मूलचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
2. दुर्गालाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
3. हणमान पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
4. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
5. मणका देवी उर्फ मणी पत्नी स्व. बनवारी लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
   समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा एवं राजस्व रिकार्ड

उपस्थिति—

1. श्री जयसिंह मील वकील वादीया की ओर से
2. श्री दक्ष मील, भवानीसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से

निर्णय दिनांक— 18.01.2016

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में कृषि आराजियात खसरा नं. 1667, 1679, 1680, 1681, 1682 किता 5 कुल रकबा 0.46 है0 एवं खसरा नं. 295 ता 298, 1637, 1638, 1641, 1668, 1686, व 294 किता 10 कुल रकबा 9.08 है0 अवस्थित है। इन कृषि आराजियाज की खातेदारी बतौर खातेदार वादीया के पुत्रगण मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल एवं बनवारी पुत्रगण सांवता के नाम से मौजूद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज वादीया गेन्दी बेवा सांवता सहित कुल हिस्सा 1/3 दर्ज हैं वादीया के पति का असल मूल नाम लक्ष्मीनारायण है लेकिन लक्ष्मीनारायण को लोग बाग व परिवारजन बचपन से सांवता के नाम से पुकारते थे इसी कारण से वादीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सांवता नाम चला आ रहा है जबकि मेरे पति का वास्तविक व सही नाम लक्ष्मीनारायण ही था। सही नाम दर्ज नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकारों पर इस नाम को लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ऐसी स्थिति में वादीया के पति का नाम लक्ष्मीनारायण उर्फ सांवता मीणा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। उसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में अंकित हो जावें। इस हेतु उद्घोषण एवं दुरूस्ती इन्द्राज हेतु यह दावा वादीया को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

... वाद पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर

Scanned with CamScanner

करना आवश्यक हुआ है। वादिया के पति एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का पिता व ससूर का असली व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण ही है। वादीया के पति का नाम लक्ष्मीनारायण वादीया के पहचान पत्र 1996 में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 4 कन्हैयालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाय की स्थानांतरण प्रमाण पत्र में प्रवेश रजिस्टर सं. 3068 में होना दर्शाया है। प्रतिवादी सं. 5 मणका देवी के पति का नाम बनवारी पुत्र लक्ष्मीनारायण जिसका देहान्त हो चुका है तथा स्व. बनवारी राजकीय सेवा में विद्युत विभाग दांतारामगढ में लाईनमैन के पद पर नौकरी करता था जिसकी राजकीय सेवा रिकार्ड में पिता का नाम श्री लक्ष्मीनारायण दर्ज है। लक्ष्मीनारायण के सभी पुत्रों व पत्नी वादिया का नाम परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड व पहचान पत्र एवं मतदाता सूचियों में पिता का नाम श्री लक्ष्मीनारायण ही दर्ज है। इन सभी दस्तावेजों के आधार पर वादिया के पति का नाम श्री लक्ष्मीनारायण मीणा होना प्रमाणित एवं पुष्ट होता है। सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी दावा के साथ संलग्न किया है। ऐसी स्थिति में वादिया के पति व प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं. 5 के ससुर का सही नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरूस्ती की जाकर लक्ष्मीनारायण उर्फ सांवता दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादिया 70 वर्ष की वृद्ध महिला है तथा अनपढ है इस कारण राजस्व रिकार्ड की त्रुटि की जानकारी वादिया को नहीं हो पाई क्योंकि वादिया को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि राजस्व रिकार्ड की बाबत कोई जानकारी हासिल करें, किन्तु जब वादिया को अपनी बेवा पुत्रवधु प्रतिवादी सं. 5 का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने का इल्म हुआ तब अपनी जमीन से संबंधित जमाबंदी की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 11.05.2015 को प्राप्त की तब हल्का पटवारी ने इस तथ्य की जानकारी दी कि वादिया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में सांवता दर्ज है। इसी जानकारी के आधार पर वादिया को वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा अपने पति लक्ष्मीनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किये जाने हेतु वाद नियोजन आवश्यक हुआ। वादीया द्वारा हस्तगत दावा केवल मात्र अपने पति के रूप में सांवता का गलत नाम दर्ज होने की दुरूस्ती की बाबत दावा प्रस्तुत किया है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीया एवं उसके पुत्रगण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम वाद के पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में हिस्सा 1/3 मात्र है इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अन्य सहखातेदार काश्तकारों के नाम से जो खातेदीर हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज चली आ रही है उसकी बाबत वादीया को कोई आपति हस्तगत दावे में नहीं की है वह यथावत रहने की बाबत कोई आपति वादीया को नहीं है इस कारण से वादीया ने कोई अनुतोष सह खातेदारों के विरूद्ध नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया है। अतः में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें। वाद के पैरा सं. 1 में दर्ज कृषि आराजियात वाके ग्राम बाय में वादीया के पति एवं प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादी सं 5 के पति के पिता के रूप में सांवता चला आ रहा है उसको सही एवं दुरूस्त किया जाकर वादीया के पति का नाम लक्ष्मीनारायणा उर्फ सांता दर्ज किया जावें तथा इसी प्रकार वादी के पुत्रगण प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता का नाम भी राजस्व रिकार्ड में सांवता के स्थान पर लक्ष्मीनारायण उर्फ सांवता दर्ज फरमाया जावें एवं खातेदारी हिस्से

दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner

1/3 की वादीया एवं उसके पुत्रगण प्रतिवादी मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल व स्व. बनवारी की बेवा मणका देवी प्रतिवादिनी सं. 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में सही रूप से दर्ज की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से वकील श्री दक्ष. मील व भवानीसिंह शेखावत हाजिर हुए एवं इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं. 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीया ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 गेंदी देवी ने पेश किया एवं संलग्न दस्तावेजात को एक्जी. करवाये गये।

3. हमने वादीया एवं प्रतिवादीगण के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील वादीया ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किये जाने की इस्तदुआ चाही गई एवं राजस्व अभिलेख में वादीया के पति एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 5 के पति के पिता का नाम सांवता के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ सांवता दुरूस्ती किये जाने को निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब में दुरूस्ती किये जाने में सहमति व्यक्त की गई है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता सं. 289 एवं 290 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात की खातेदारी वादीया गेंदी पत्नी स्व. सांवता एवं प्रतिवादीगण मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल पिता सांवता एवं प्रतिवादी सं. 5 के पति स्व. बनवारी पुत्र सांवता के नाम दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज वादीया गेंदी के निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में गेंदी पत्नी लक्ष्मी नारायण के नाम दर्ज है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के प्रस्तुत निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड के अनुसार पिता/पति के पिता का नाम कन्हैयालाल लिखा हुआ है, प्रतिवादी सं. 4 कन्हैयालाल के स्थानांतरण प्रमाण पत्र राउमावि, बाय में पिता का नाम लक्ष्मी नारायण लिखा हुआ है एवं ग्राम पंचायत, बाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.10.15 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मीनारायण व सांवता एक ही व्यक्ति के नाम है। खातेदार बनवारी की मृत्यु होने पर वारिस मणीदेवी उर्फ मणका पत्नी व सुमन व पिंकी पुत्रियां वारिस बताये है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख अनुसार सांवता को दो नामों कन्हैयालाल व सांवता के नाम से जाना व पुकारा जाता था। राजस्व अभिलेख में सहवन से सांवता दर्ज हो गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। अतः वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है एवं जमाबंदी संवत् 2066–69 विवादित आराजियात ख.नं. 1667, 1679, 1680, 1681, 1682 किता 5 कुल रकबा 0.46 है0 एवं खसरा नं. 295 ता 298, 1637, 1638, 1641, 1668, 1686, व 294 किता 10 कुल रकबा 9.08 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार गेंदी पत्नी स्व. सांवता एवं मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल, बनवारी पिता सांवता हि. 1/3 ब.हि.ब. का नाम हजफ किया

उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

निम्नलिखित आधारों पर सादर

Scanned with CamScanner

जाकर उनके स्थान पर गेंदी पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण उर्फ सांवता एवं मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, बनवारी पुत्रगण स्व. लक्ष्मीनारायण उर्फ सांवता हि. 1/3 ब.हि.ब. सा. बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। पर्चा डिकी जारी हो। शेष इबारत मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगी। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 18.01.2016 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास **जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस**

गेन्दी बनाम मूलचन्द आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड संशोधन

मुकदमा नं0 192/दावा/2015 निर्णय दिनांक 18.01.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **जगदीश प्रसाद गौड़** आरएएस बहाजरी श्री जयसिंह मील वकील मिनजानिब मुद्दई श्री दक्ष मील, भवानीसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है एवं जमाबंदी संवत् 2066–69 विवादित आराजियात ख.नं. 1667, 1679, 1680, 1681, 1682 किता 5 कुल रकबा 0.46 है0 एवं खसरा नं. 295 ता 298, 1637, 1638, 1641, 1668, 1686, व 294 किता 10 कुल रकबा 9.08 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार गेंदी पत्नी स्व. सांवता एवं मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल, बनवारी पुत्रगण स्व. सांवता हि. 1/3 ब. हि.ब. का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर गेंदी पत्नी स्व. सांवता उर्फ लक्ष्मीनारायण एवं मूलचन्द, दुर्गालाल, हणमान, कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, बनवारी पुत्रगण स्व. लक्ष्मीनारायण उर्फ सांवता हि. 1/3 ब.हि.ब. सा. बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। पर्चा डिकी जारी हो। शेष इबारत मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगी। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 जनवरी, 2016 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

आहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकायलतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	9	00			
मीजान	12	00	मीजान	2	00

नोटः इस रार्वे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

पत्रावली सं. 192/15/136 एलआर

गैदी उम्र 70 वर्ष धर्मपत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीया

ब ना म

1. मूलचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
2. दुर्गालाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
3. हणमान पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
4. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
5. मणका देवी उर्फ मणी पत्नी स्व. बनवारी लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
   समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड

उपस्थिति—

1. श्री जयसिंह मील वकील वादीया की ओर से
2. श्री दक्ष मील, भवानीसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 18/01/2016

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner